न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/42 दायरा दिनांक : 16.03.2021

उनवान

सूसरबाई पत्नी जुगल किशोर, जाति धाकड, निवासी ग्राम सीमल्या, तहसील किशनगंज, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. लीलाबाई पत्नी अमृतलाल हाल पत्नी देवकिशन, जाति धाकड, निवासी देवपुरा वाले आई. टी.आई. के पास राजस्थान बैंक की गली, अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री महेन्द्र कुमार नागर व रामप्रसाद नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संजय शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.05.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 2016/00059/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 11.02.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया अपीलांटा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पींजनी में खसरा नं. 107 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नं. 109 रकबा 6.01 बीघा कुल 2 किता की 8 बीघा 04 बिस्वा एवं ग्राम बिलासगढ़ मे खसरा नं. 536 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नं. 540 रकबा 14 बिस्वा कुल 2 किता की 6 बीघा 14 बिस्वा स्थित है तथा ग्राम बिलासगढ मे खसरा नं. 3/853 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 29 रकबा 8 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 30/855 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल 3 किता की 10 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/2 स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान भू राजस्व एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में केवल मूल वादपत्र एवं जवाबदावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए वादग्रस्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भूमि के स्व0 खातेदार अमृतलाल की मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में फौती इंतकाल दर्ज किये जाने के पहले ही देवकिशन उर्फ देवकीनन्दन जाति धाकड़, तहसील अन्ता के साथ नाता विवाहित संबंध स्थापित कर लेने से उसका स्व0 अमृतलाल के खाते की भूमियों पर कानूनी रूप से कोई उत्तराधिकार हक न रहते हुए भी कपटपूर्ण ढंग से वादिनी माता सूसरबाई के पक्ष में फौती इंतकाल दर्ज न होने मात्र से ही रेस्पो0 नं0–1/प्रतिवादिनी लीलाबाई विधवा पत्नि अमृतलाल के पक्ष में तस्दीक गैरकानूनी इन्तकाल के आधार पर उसे कुल भूमियों का तन्हा खातेदार होना मानकर अपीलांट/वादिनी द्वारा वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को निरस्त कर दिया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। स्वर्गीय खातेदार अमृतलाल के खाते की दोनों गांवों की कुल कृषि भूमियों पर अपीलांट/वादिनी अपने छोटे पुत्र मुकेश के साथ काबिज काश्त है तथा रेस्पोडेंट नं0–1 प्रतिवादिनी लीलाबाई का वादग्रस्त भूमि से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहा है, उक्त समस्त तथ्य पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथपत्रों से प्रमाणित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादिनी के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या केस, सुविधाओं का संतुलन तथा अपरिमित क्षति होना भी न मानते हुए प्रार्थना–पत्र स्थगन आदेश बिना किसी कानूनी विवेचन विस्तृत स्पीकिंग आर्डर भी पारित न कर निरस्त कर दिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादिनी की ओर से प्रस्तुत कानूनी उद्धरण RLW 2007 (i) RJ पृष्ठ 446 तथा A.I.R. 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज–1, RRD 1995 पृष्ठ 181 तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर भी कोई ध्यान न देकर पूर्णतः आर्बिट्रेरी एवं गैरकानूनी रूप से उक्त प्रार्थना–पत्र वादिनी निरस्त किया गया है, जबकि अपीलांट/वादिनी कुल वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त हिन्दू परिवारकर्ता के रूप में अपने छोटे पुत्र मुकेश के सहयोग से काबिज काश्त होने से अपने हक में ताफैसला वाद–पत्र स्थगन आदेश जारी कराने की अधिकारिणी है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट/वादिनी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को निरस्त कर अपीलांट वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र बाबत खातेदारी घोषणा के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार कर ताफैसला दावा अपीलांट/वादिनी के पक्ष में रेस्पोडेंट नं0–1/प्रतिवादिनी लीलाबाई के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट/वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें तथा वादग्रस्त भूमि को ताफैसला दावा किसी प्रकार से हस्तांतरित एवं भारग्रस्त कराने का भी कोई प्रयास न करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि प्रकरण में अपीलांट सोसर बाई बेवा जुगलकिशोर के लड़के अमृतलाल पुत्र जुगलकिशोर धाकड़ की जवानी में दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उस के खाते पिता जुगलकिशोर द्वारा उसकी बाल्यावस्था (नाबालिग अवस्था) में अमृतलाल नाबालिग पुत्र के नाम से जर्ये वली (संरक्षक) उसके पिता द्वारा कय की हुई भूमियां ग्राम पींजनी व बिलासगढ तहसील किशनगंज, जिला बारां पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के प्रावधान मुताबिक खातेदार अमृतलाल मृत्तक का कोई पुत्र–पुत्री एवं विधवा पत्नि मौजूद न होने पर केवल उसकी माता सूसरनाई बेवा जुगलकिशोर धाकड़, निवासी ग्राम सीमल्या, तहसील किशनगंज, जिला बारां को ही उत्तराधिकार हक प्राप्त होते हुये भी ग्राम पंचायत द्वारा मृतक अमृतलाल के खाते की भूमि पर इंतकाल 265 ग्राम पींजनी तथा इंतकाल नं० 832 ग्राम बिलासगढ़ प्रतिवादिनी/रेस्पोडेंट लीलाबाई नाता पत्नि देवकिशन उर्फ देवकीनंदन धाकड, निवासी ग्राम अन्ता, जिला बारां के नाम दर्ज कर देने पर प्रतिवादिनी/रेस्पोडेंट लीलाबाई द्वारा मृतक खातेदार अमृतलाल की विधवा पत्नि भी होना बताकर उक्त भूमियों को विक्रय कर खुर्द–बुर्द करने को तत्पर होने पर वादिनी/अपीलांट सूसर बाई विधवा पत्नि जुगलकिशोर द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम पींजनी तथा बिलासगढ़ जो वादिनी सूसर बाई के पुत्र अमृतलाल पुत्र जुगलकिशोर के खाते रही है तथा उक्त कुल भूमि पर वादिनी सूसरबाई ही उसके पुत्र मुकेश के साथ काबिज काश्त होकर स्वर्गीय अमृतलाल के खाते की भूमियां काश्त कर रही है।

उक्त भूमियों पर प्रतिवादिनी लीलाबाई द्वारा उसके पति अमृत लाल की मृत्यु हो जाने के बाद एक माह की अवधि में ही देवकिशन उर्फ देवकीनंदन धाकड़, निवासी अन्ता, जिला बारां के साथ नाता विवाह कर लेने से उसका स्वर्गीय पति अमृतलाल के खाते की भूमि पर किसी प्रकार का उत्तराधिकारी हक न होते हुये भी ग्राम पंचायत द्वारा उसके पक्ष में गलत रूप से इंतकाल दर्ज कर देने के आधार पर ही लीलाबाई द्वारा देवकीनंदन उर्फ देवकिशन धाकड़, निवासी अन्ता, जिला बारां की नाता पत्नि होकर मतदाता सूची ग्राम अन्ता में भी उसका लीलाबाई पत्नि देवकीनंदन नाम दर्ज होते हुये भी तथा आधार कार्ड में भी लीलाबाई पत्नि देवकीनंदन नागर निवासी वार्ड नं0 6 अन्ता, बारां दर्ज होते हुये भी वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने को प्रयासरत होने के कारण वादिनी/अपीलांट सूसरबाई द्वारा प्रतिवादिनी/रेस्पोडेंट लीलाबाई के पक्ष में अपीलांट **लाइल्म** में गलत रूप से दर्ज इंतकाल नं. 265 ग्राम पींजनी तथा इंतकाल नं. 832 ग्राम बिलालगढ़ को अवैध एवं शून्य घोषित कर वादिनी को खातेदार घोषित कराने हेतु दायर घोषणा एवं निषेधाज्ञा के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा बिना किसी न्यायोचित आधार एवं स्पीकिंग ऑर्डर खारिज कर देने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त अपील मेमो ऑफ अपील में वर्णित कारणों तथा उक्त विवेचन तथा संलग्न कानूनी रूलिंग के मुताबिक रेस्पोडेंट/प्रतिवादिनी लीला बाई नाता पत्नि देवकीनंदन धाकड़ अन्ता का वादग्रस्त भूमि स्व0 खातेदार अमृतलाल पर किसी प्रकार का उत्तराधिकार का हक प्राप्त न होने से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादिनी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत घोषणा खातेदारी हक के दावे में वादिनी के पक्ष में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा स्थगन आदेश जारी किया जाना न्याय संगत है। उक्त आधार पर संलग्न रूलिंग मुताबिक उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट के खाते की आराजी है। स्वर्गीय खातेदार अमृतलाल की पत्नी लीलाबाई के कोई औलाद नहीं होने से आराजी उसके खाते दर्ज की गई। अमृतलाल की मृत्यु के बाद लीलाबाई ने दूसरा विवाह किया इसलिए वादग्रस्त आराजी पर उसका कोई हक नहीं है। पति की मृत्यु के बाद पुनः विवाह कर सकती है। पति की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी प्राप्त हुई जो विधिवत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सही खारिज किया। लीलाबाई के सूसर बाई ने भी दावा किया था जो अधीनस्थ न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय से खारिज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने लीला को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। प्रथम दृष्टया केस नहीं है, खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

मैंने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिया अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम पींजनी में खसरा नं. 107 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नं. 109 रकबा 6.01 बीघा, कुल 2 किता की 8.04 बीघा एवं ग्राम बिलासगढ में खसरा नं. 536 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नं. 540 रकबा 0.14 बीघा कुल 2 किता की 6.14 बीघा तथा ग्राम बिलासगढ में ही खसरा नं. 3/853 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नं. 29 रकबा 8.09 बीघा, खसरा नं. 30/855 रकबा 1.15 बीघा, कुल 3 किता की 10.13 बीघा में वादिया का हिस्सा 1/2 स्थित है। वर्णित विवादित आराजी वादिया के पति जुगलकिशोर ने खरीदकर वादिया के पुत्र एवं अप्रार्थी कम 1 के पति अमृतलाल पुत्र जुगलकिशोर के नाम जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवायी थी। अप्रार्थी कम 1 लीलाबाई वादिया की पुत्रवधु है। अप्रार्थी कम 1 मृतक अमृतलाल का इंतकाल खोलने की तारीख को पुर्नविवाह कर नाते जा चुकी थी इसलिए अप्रार्थी कम 1 का विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का स्वामित्व/हक व अधिकार उत्तराधिकार खुलने की तारीख से नहीं रहा था। वादिया के पुत्र एवं अप्रार्थी कम 1 के पति अमृतलाल की मृत्यु लाऔलाद वर्ष 2009 में हो जाने के पश्चात् अप्रार्थी कम 1 व 2 ने सांठ गांठ कर अप्रार्थी कम 1 के नाम नामान्तरण संख्या 832 दिनांक 20.04.2010 ग्राम बिलासगढ एवं नामान्तरण संख्या 265 दिनांक 20.04.2010 ग्राम पींजनी से सम्पूर्ण विवादित आराजी अपने नाम ग्राम पंचायत से

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इंतकाल तस्दीक करवा लिये। यह नामान्तरण अप्रार्थी कम 2 एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों ने अवैधानिक तरीके से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची के प्रथम वर्ग में वर्णित प्रावधानों के विपरीत तस्दीक करवाये गये है। जब अमृतलाल का स्वर्गवास हुआ उसके पश्चात् वादिया जीवित थी और जब विवादित आराजी का नामान्तरण खोला गया उस समय अप्रार्थी कम 1 ने देवकिशन पुत्र घनश्याम जाति धाकड से पुर्नविवाह कर लिया था इसलिए वादिया के नाम से ही सम्पूर्ण विवादित भूमि के नामातंरण तस्दीक किये जाने चाहिए थे। अप्रार्थी कम 1 का नाम चालू राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी में अवैध रूप से अंकित है इसी कारण वह विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। अतः वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वे विवादित आराजी में वादिया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का दखलंदाजी न तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे तथा अप्रार्थी कम 1 विवादित आराजी को रहन बेचान/अन्तरण नहीं करे।

अधीनस्थ न्यायालय में दौराने वाद अप्रार्थी कम 1 लीलाबाई द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी अप्रार्थिया के पति अमृतलाल द्वारा क्रय की जाकर उसके नाम विक्रय पत्र का पंजीयन कराकर रिकार्ड में दर्ज कराई गयी जिसके देहांत के बाद नामान्तरण संख्या 265 दिनांक 20.04.2010 ग्राम पींजनी एवं इंतकाल नं. 832 दिनांक 20.04.2010 ग्राम बिलासगढ खोला जाकर तस्दीक किया गया है जिसको चुनौती नहीं दी गयी। अप्रार्थी विधवा महिला है जिसे परेशान करने के लिए उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। आराजियात पर अप्रार्थिया ही मुनाफा काश्त पर जुपाती चली आ रही है। अप्रार्थिया विधवा होने के कारण काश्त करने में असमर्थ होने से उसका फायदा प्रार्थिया व उसका पति जुगलकिशोर जो अप्रार्थिया के सास ससुर है जिनके द्वारा अप्रार्थिया के पति का देहांत होने के बाद घर से निकाल दिया व उसकी आराजी हड़पने के उद्वेश्य से गलत तथ्यों पर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2021 से वादिया का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए निर्णय में अंकित किया कि प्रार्थिया को अपूरर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है, ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.02.2021 से अप्रसन्न होकर वादिया अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 2021/42 अपील दायर की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराज़ी ग्राम पींजनी एवं ग्राम बिलासगढ़ की आराजी रेस्पोडेंट कम 1 लीलाबाई के पति अमृतलाल की मृत्यु के पश्चात फोती नामान्तरकरण संख्या 265 व 832 दिनांक 20.04.2010 से लीलाबाई के खाते दर्ज हुई है। रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा विवादित आराजी के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 29.02.2016 एवं न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व अपील संख्या 2/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2019 की प्रस्तुत प्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व में भी विवादित आराजी के सन्दर्भ में रेस्पोडेंट कम 1 के ससुर जुगलकिशोर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.02.2016 से खारिज करने पर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.09.2019 से अपील को सारहीन मानते हुए खारिज किया जा चुका है। वर्तमान में उसी वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में रेस्पोडेंट कम 1 की सास सूसरबाई द्वारा वाद प्रस्तुत कर वादपत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.02.2021 से खारिज किया गया है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट कम 1 लीलाबाई को उसके पति अमृतलाल की मृत्यु के पश्चात विरासत में प्राप्त होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है। वर्तमान में लीलाबाई विवादित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित करते हुए उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायोचित नहीं है। सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया केस व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं होने से अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा